(12)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R5328-II/16 राजकरण उर्फ प्रदीप सिंह प्रकरण मे लिखित नाम रामकरण उर्फ प्रदीप सिंह उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिए बली सरपरस्त माता श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री प्रकाश सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी गाम घुघुवार, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0 RB-301-

अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। 19-7-16

-------निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. बेवा गंगा सिंह पत्नी स्व0 श्री हीरामणि सिंह
2. नीरज सिंह तनय स्व0 श्री हीरामणि सिंह
3. निरंजन सिंह तनय स्व0 श्री हीरामणि सिंह

तीनों निवासी ग्राम घुघुवार, तहसील रघुराज नगर लिला सतना म0प्र0

4. श्रीमती करुणा सिंह पुत्री स्व0 श्री हीरामणि सिंह उम्र 38 वर्ष, पत्नी गुड्डू सिंह निवासी ग्राम गुढ़ा, जिला बांदा (उ0प्र0)
5. रिंकी सिंह पुत्री स्व0 श्री हीरामणि सिंह पत्नी श्री सुरेश सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम खांड़े सराय जिला रायबरेली (उ0प्र0)
6. देवेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री जयप्रताप सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम घुघुवार तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

---गैर निगरानीकर्तागण/प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 27.06.2016 जो न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराज नगर जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 132/अपील/2012-13 मे पारित किया गया।

—2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(12)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी ५३२८ – ०२/२०१६ सतना राजकरण सिंह **बनाम** वेवागंगा सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/8/2018	आवेदक अभिभाषक सुशील तिवारी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री दयानंद वर्मा उपस्थित । २- प्रकरण के सक्षप्त इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण कि ओर से नायब तहसीलदार वृत्त कोठी रा.प्र.क्र. १२६/८६/२०११-१२ मे पारिआदिश दिनांक ०७/०९/२०१२ के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक २७/०६/२०१६ के द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत परिसिमा की धारा ५ का आवेदक स्वीकार कर अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया ओर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध म0प्र0भु0राजस्व संहिता १९५९ कि धारा ५० के तहत निगरानी प्रस्तुत की गई है । ३. उभह पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्त न्यायालय के अभिलक का अवलोकन किया । अभिलेक के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे अनावेदक गण पक्षकार नहीं थे । ऐसी स्थिति मे जानकारी दिनांक से अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा में माना है। अधिनस्त न्यायालय मे जब कोई व्यक्ति पक्षकार ना हो तब उसे आदेश की सूचना जानकारी दिनांक से होना मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण होना शेष है जहां दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर उपलब्द है। ४. उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना आदेश दिनांक २७/०६/२०१६ स्थिर रखा जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो । 7/8/18 (आर.के.मिश्रा) सदस्य	